न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 25/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट री–कन्सट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, पता 11वी मंजिल, नोर्थ साइड, आर–टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **लाल चन्द सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी,** पता–वार्ड नम्बर 38, पुरोहित जी की ढाणी, सरकारी स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान–332001
2. **छोटी देवी पत्नी लालचन्द सैनी,** पता– पुरोहित जी की ढाणी, वार्ड नम्बर 38, सीकर, राजस्थान–332001
3. **राजेश कुमार सैनी पुत्र लालचन्द सैनी,** पता– पुरोहित जी की ढाणी, वार्ड नम्बर 38, सीकर, राजस्थान–332001
4. **योगेश सैनी पुत्र लालचन्द सैनी,** पता– पुरोहित जी की ढाणी, वार्ड नम्बर 37, सीकर, राजस्थान–332001
5. **प्रेम सैनी पुत्र लालचन्द सैनी,** पता– पुरोहित जी की ढाणी, वार्ड नम्बर 38, सीकर, राजस्थान–332001
6. **राम लखन सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी,** पता–ग्राम कांवट, वार्ड नम्बर 2, सीकर, राजस्थान– 332708

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 17.10.2024

1. प्रार्थी वितीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **लाल चन्द सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी, छोटी देवी पत्नी लालचन्द सैनी, राजेश कुमार सैनी पुत्र लालचन्द सैनी, योगेश सैनी पुत्र लालचन्द सैनी, प्रेम सैनी पुत्र लालचन्द सैनी** एवं **राम लखन सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लाल चन्द सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी** एव **छोटी देवी पत्नी लालचन्द सैनी** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 249, पत्रावली संख्या 132, वार्ड नम्बर 29, पुरोहित जी की ढाणी, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 145 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में ईश्वर लाल सैनी, दक्षिण दिशा में रोड़, पूरब दिशा में ईश्वर लाल सैनी का नोहरा एवं पश्चिम दिशा में सीताराम सैनी व मुरारी लाल सैनी का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक **रू. 15,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पंद्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.09.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.09.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **लाल चन्द सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी, छोटी देवी पत्नी लालचन्द सैनी, राजेश कुमार सैनी पुत्र लालचन्द सैनी, योगेश सैनी पुत्र लालचन्द सैनी, प्रेम सैनी पुत्र लालचन्द सैनी** एवं **राम लखन सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लाल चन्द सैनी पुत्र रामेश्वर लाल सैनी** एव **छोटी देवी पत्नी रामेश्वर लाल सैनी** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 249, पत्रावली संख्या 132, वार्ड नम्बर 29, पुरोहित जी की ढाणी, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 145 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में ईश्वर लाल सैनी, दक्षिण दिशा में रोड़, पूरब दिशा में ईश्वर लाल सैनी का नोहरा एवं पश्चिम दिशा में सीताराम सैनी व मुरारी लाल सैनी मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर